न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 14(4) संख्याः 01/2020
दायर दिनांकः 21.07.2020
निर्णय दिनांक 23.12.2021
—:अनवानः—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय नाथद्वारा जिला राजसमन्द

-----प्रार्थी

—:बनामः—

1. भेरूलाल पिता रामलाल ब्राह्मण निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. कला पिता रामलाल ब्राह्मण निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. लीला पिता रामलाल ब्राह्मण निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. जतिन पिता यशवन्त ब्राह्मण निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
5. जिनिशा पिता यशवन्त ब्राह्मण निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
6. दिलखुश पत्नि यशवन्त ब्राह्मण निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
7. सीतादेवी पत्नि रामलाल ब्राह्मण निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
8. भवानीशंकर पिता चम्पालाल ब्राह्मण निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द का देहान्त होने से विधि वारिसान
   (1) श्री मोहनलाल पिता भवानीशंकर ब्राह्मण निवासी गुडला, तह0 नाथद्वारा
   (2) श्री ओमप्रकाश पिता भवानीशंकर ब्राह्मण निवासी गुडला, तह0 नाथद्वारा
   (3) श्री चन्द्र पिता भवानीशंकर ब्राह्मण निवासी गुडला, तह0 नाथद्वारा
   (4) श्री निर्मल कुमार पिता भवानीशंकर ब्राह्मण निवासी गुडला, तह0 नाथद्वारा
   (5) श्रीमती गीता बाई पुत्री भवानीशंकर ब्राह्मण निवासी गुडला, तह0 नाथद्वारा
9. लक्ष्मीबाई पिता चम्पालाल ब्राह्मण निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
10. दुउबाई पिता चम्पालाल ब्राह्मण निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
11. सुन्दरबाई पिता चम्पालाल ब्राह्मण निवासी गुडला, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय खमनोर जिला राजसमन्द

-----अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू – राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भुमि आवंटन नियम 1970) के तहत आवंटन निरस्त कराने बाबत

उपस्थितः–

1– श्री कैलाश चन्द्र बोल्या सरकार पेरोकार अधिवक्ता प्रार्थी

2– श्री अनिल बागोरा अधिवक्ता अप्रार्थी ।

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 08.06.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम सुरतसिंह जी की भागल पटवार मण्डल धायला में चालु जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 खाता संख्या 121 में खसरा संख्या 2265 रकबा 4–15 बीघा भूमि स्थित होकर विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। उक्त आराजी श्री चम्पालाल पिता किशनलाल ब्राह्मण को श्रीमान उपजिलाधीश महोदय द्वारा दिनांक 15.12.1978 को आवंटित की गई थी। उपरोक्त आवंटित खसरा संख्या 2265 रकबा 4–15 बीघा भूमि पर वर्तमान में बाडे, मकान, नाडी, ग्राम फरारा जाने वाली सडक बनी हुई हैं। आवंटिति श्री चम्पालाल एवं तत्पश्चात उनके उत्तराधिकारी वारीस में से किसी भी व्यक्ति का इस आवंटित भूमि पर न तो वर्तमान में कब्जा है ना ही पूर्व में कभी कब्जा रहा हैं। आंवटिति तथा उनके वारिसान द्वारा आवंटित भूमि या उसके किसी भी भाग पर आज तक कृषि कार्य नही किया हैं। राजस्थान भू –राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भुमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(8)(क) में वर्णित शर्तो की पालना नही की हैं। चम्पालाल को उक्त भूमि का आवंटन उसके खारी फिडर में अवाप्तशुदा भूमि के बदले भूमि प्रकरण के तहत किया गया था। आवंटिति के उत्तराधिकारीयों को ग्राम धायला में बिलानाम भूमि खसरा सं0 1313 रकबा 30–16 बीघा में से 4–15 बीघा भूमि का आवंटन भी प्रस्तावित हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता उपस्थित। जिन्होने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्य स्वीकार है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सुरतसिंह जी की भागल पटवार मण्डल धायला में चालु जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 खाता संख्या 121 में खसरा संख्या 2265 रकबा 4–15 बीघा भूमि स्थित होकर विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। उक्त आराजी श्री चम्पालाल पिता किशनलाल ब्राह्मण को श्रीमान उपजिलाधीश महोदय द्वारा दिनांक 15.12.1978 को

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

आवंटित की गई थी। उपरोक्त आवंटित खसरा संख्या 2265 रकबा 4—15 बीघा भूमि पर वर्तमान में बाडे, मकान, नाडी, ग्राम फरारा जाने वाली सडक गनी हुई हैं। आवंटिति श्री चम्पालाल एवं तत्पश्चात उनके उत्तराधिकारी वारीस में से किसी भी व्यक्ति का इस आवंटित भूमि पर न तो वर्तमान में कब्जा है ना हि पूर्व में कभी कब्जा रहा हैं। आंवटिति तथा उनके वारिसान द्वारा आवंटित भूमि या उसके किसी भी भाग पर आज तक कृषि कार्य नही किया हैं। राजस्थान भू —राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भुमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(8)(क) में वर्णित शर्तो की पालना नही की हैं। अतः उक्त आवंटन निरस्त योग्य हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचार किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपरोक्त आवंटित खसरा संख्या 2265 रकबा 4—15 बीघा भूमि पर आवंटिति द्वारा आवंटित भूमि पर न तो वर्तमान में कब्जा है ना ही पूर्व में कभी कब्जा रहा हैं। आंवटिति द्वारा आवंटित भूमि या उसके किसी भी भाग पर आज तक कृषि कार्य नही किया हैं। तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा भी प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्य स्वीकार कर आवंटन निरस्त करने की सहमती दी हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन आदेश दिनांक 15.12.1978 को खारिज किया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उपजिलाधीश नाथद्वारा के द्वारा दिनांकः 15.12.1978 को श्री चम्पालाल पिता किशनलाल ब्राह्मण को तहसील नाथद्वारा के राजस्व ग्राम सुरतसिंह जी की भागल पटवार मण्डल धायला स्थित आराजी नम्बर 2265 रकबा 4—15 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के आवंटन को खारिज किया जाता हैं।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 23.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)